

क्यू-17029 / 1 / 2008 / पी-III

दिनांक : 30 मार्च 2012

विषय : प्रयोगशाला के डिजीटल फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश।

प्रिय महोदय,

कृपया इस कार्यालय के समसंख्यक अ.शा. पत्र दिनांक 11 अगस्त 2010 द्वारा निर्धारित पीएमजीएसवाई के अधीन द्वितीय स्तर के अंतर्गत गुणवत्ता मॉनीटरिंग के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनूच्छेद 6.3 का अवलोकन करें। इस प्रावधान के अनुसार एसक्यूएम को निरीक्षण के समय क्रियान्वित किए जा रहे कार्यों के विभिन्न मदों की जांच करने हेतु प्रयोगशाला में अपेक्षित उपकरणों की उपलब्धता की जांच करना आवश्यक है। एसक्यूएम द्वारा यह भी जांच करने की अपेक्षा की जाती है कि क्या सामग्री एवं कर्मकौशल की जांच करने हेतु इन उपकरणों का वारतविक प्रयोग किया जा रहा है या नहीं।

2. यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि इस पहलू को एसक्यूएम निरीक्षणों में सम्मिलित किया गया है, यह निर्णय किया गया है कि चल रहे कार्यों के प्रत्येक निरीक्षण के तदनुरूप क्षेत्रीय प्रयोगशाला तथा इसके उपकरणों का कम से कम एक डिजीटल फोटोग्राफ एसक्यूएम द्वारा ओ एम एस में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

3. सभी एसक्यूसी से अनुरोध है कि वह राज्य के सभी एसक्यूएम को इस संबंध में सूचित करें व सुनिश्चित करें कि क्षेत्रीय प्रयोगशाला एवं इसके उपकरणों के फोटोग्राफों को अपलोड करने सहित दिशानिर्देशों के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए।

4. सभी राज्यों में पीएमजीएसवाई के प्रभारी प्रधान सचिवों/सचिवों से भी अनुरोध है कि वह प्रयोगशाला एवं उसके उपकरणों की डिजीटल फोटोग्राफों को एसक्यूएम द्वारा ओ एम एस में अपलोड करना सुनिश्चित करें तथा समय-समय पर इसके अनुपालन की जांच भी करें। ध्यान रहे कि एसक्यूएम के केवल उन्हीं निरीक्षणों का संज्ञान लिया जाएगा जिनके तदनुरूप उपकरणों सहित क्षेत्रीय प्रयोगशाला के कम से कम 10 डिजीटल फोटोग्राफ ओ एम एस पर अपलोड किए गए हों।

३१।४।५ अ.भा.१२
(डॉ. प्रमोद कुमार आनन्द)
संयुक्त सचिव(आरसी) एवं
महानिदेशक(एनआरआरडीए)

सेवा में

1. सभी राज्यों के पीएमजीएसवाई के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव
2. सभी मुख्य अभियन्ता/ एसआरआरडीए के सीईओ
3. सभी राज्य गुणवत्ता समन्वयक

प्रति सूचनार्थ:

1. सचिव(आरडी) निजी सचिव
2. राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास (आरडी-पीजे) के निजी सचिव/राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास (आरडी-एसए) के निजी सचिव/राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास (आरडी-एएस) के निजी सचिव
3. मंत्री (ग्रामीण विकास) के निजी सचिव